

स्पीड पोस्ट/ई-मेल
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-01/2026 श्र0सं0...
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

राजेश भारती (भा०प्र०से०),
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

सभी उप श्रमायुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।(उप श्रमायुक्त, पटना को छोड़कर)
सभी सहायक श्रमायुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
सभी श्रम अधीक्षक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।(श्रम अधीक्षक, बक्सर को छोड़कर)

पटना, दिनांक:-

विषय:-

(क) मुख्य शीर्ष-2230-श्रम रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-26-2230011030101) एवं (ख) मुख्य शीर्ष-2230-श्रम रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-26-2230017890101) के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2122, दिनांक-16.04.2026 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2026-27 में प्रथम एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के आयोजन हेतु निधि का समेकित आवंटन संलग्न अनुसूची-I के अनुसार किया गया है।

2. उक्त प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 15 जुलाई, 2026 को किया जाना है।

3. यह आवंटन व्यय शीर्ष (क) के अन्तर्गत विषयशीर्ष-20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार में रु 23,23,200/- मात्र एवं विषयशीर्ष-20.03 प्रशिक्षण व्यय में रु 23,06,192/- मात्र अर्थात् कुल आवंटित राशि रु 46,29,392/- मात्र (रु छियालिस लाख उनतीस हजार तीन सौ बेरान्चे) मात्र एवं व्यय शीर्ष (ख) के अन्तर्गत विषयशीर्ष-20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार में रु 9,68,700/- मात्र एवं विषयशीर्ष-20.03 प्रशिक्षण व्यय में रु 9,86,657/- मात्र अर्थात् कुल आवंटित राशि रु 19,55,357/- (रु उन्नीस लाख पचपन हजार तीन सौ संतावन) मात्र इस प्रकार (क) + (ख) के अन्तर्गत कुल आवंटित राशि रु 65,84,749/- (रु पैसठ लाख चौरासी हजार सात सौ उनचास) मात्र वित्त विभाग के पत्रांक-314/वि०, दिनांक-01.04.2026 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98 तथा पत्रांक-3748/वि०(2), दिनांक-05.04.2010 के आलोक में है।

4. अनुसूची की स्तंभ (ख) में उल्लेखित उप शीर्ष में आवंटित राशि, कुल मजदूरी का 30 % अनुसूचित जाति के मजदूरों के लिए है। अगर अनुसूचित जाति के मजदूरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका भुगतान अनुसूची की स्तंभ (क) में उल्लेखित उप शीर्ष में आवंटित राशि से किया जा सकेगा।

5. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।

6. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक टी.भी. नं. तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अविलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

7. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार जाँच कर किया जाय।

8. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।

9. यदि विषयशीर्ष-0101.20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार में टेंट, शामियाना, पोस्टर, पम्पलेट, बुकलेट, दरी, होडिंग आदि के लिए आवंटित राशि में बचत होती है तो उस राशि से सब से पिछड़ी पंचायत/Industrial Cluster जहाँ श्रमिक अधिक होते हैं वहाँ गाँव/पंचायत स्तर पर एक अतिरिक्त शिविर का आयोजन करें।

सभी संबंधित जिलों के उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि जिला पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर शिविर आयोजन करेंगे एवं शिविर के आयोजन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

अनु०-अनुसूची-I

विश्वासभाजन,

ह/०

(राजेश भारती)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-01/2026 श्र0सं0-

पटना, दिनांक-

स्पीड
पोस्ट

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह/०

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक: 6/एफ1-01/2026 श्र0सं0-

4050

पटना, दिनांक-

13/7/26

स्पीड
पोस्ट

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक सहित अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/प्रशाखा-2, सरकार पक्ष/ प्रशाखा-4, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ एवं आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा।

श्रमायुक्त, बिहार।